

2013/02/63

फर्द अहकाम

न्यायालय

524-दीवरी 108

बनाम

वारी 210

मुकदमा संख्या / वर्ष

27 / 20 19

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
	10.2.18	<p>पनावली पेडा हड / कमील पं प्रका उपस्थित कमील प्रतिवादी ने पारिता पत्र नाम हक प्रत में पेडा विगत या निप्र पर कमील वली को पुता गया। पनावली का अंतोकात्र से कमील पत्र कारत को अफ्त गरीता पत्र पर पुता के पक्षगत प्रतिवादी है। 2 के नाओकाड फौल होत है अफ्त प्रतिवादी है। उमेय मया मडि होत है है प्रत से ही वर में प्रका होत से पारिता पत्र नाम हक प्रका विगत विगत प्रविवादी है। 2 का नाम हक प्रका विगत के अंतोकाड से पुता है कमील प्रतिवादी है। 2 के नाम के अंतोकाड प्रवादी से नाम हक प्रत अफ्त विगत विगत वारी रहे प्रतिवादी का के अंतोकाड अंतोकाड को तहसीलदार (तुगा से प्राप्त पुतात विगत पर पुता गया। कमील अफ्त पत्र ने विगत प्रताव में प्रका विगत की। तहसीलदार तुगा से प्राप्त विगत प्रताव का अंतोकाड विगत विगत प्रताव पर वली प्रतिवादी प्रत से अफ्त पत्र प्रताव का पुतात पर अफ्त प्रताव अफ्त अफ्त अफ्त विगत।</p> <p>पनावली का अंतोकाड से कमील अफ्त पत्र को पुतात विगत पर पुतात पर वारी व प्रतिवादी का प्रताव अफ्त पत्र को अफ्त अफ्त अफ्त वारी का नाड तहसीलदार तुगा से प्राप्त विगत प्रताव को अंतोकाड अंतोकाड विगत विगत है कि वर अफ्त</p>	

विगत



2019/00163

फर्द अहकाम

न्यायालय


राजस्थान

बनाम

व्यापारिक

मुकदमा संख्या / वर्ष

27 / 20 19

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>जो कि एच.एम.एम. का. देह. दे. हिस्से में रहेगी वह सं. सं. 160 संख्या 0.02538 के साथ वी.ए.के. सामिलानी मुक्ति हिस्सा बना- - करी अनुसू. रहेगा / उक्त अनुसू. के अंतर्गत में अमल कराया जाएगा। अनुसू. व नमो काउ. का अमल देना मेज जो कि डि.के. पत्रावाही है। निरीप व डि.के. के पत्रावाही हेतु वे.एम.एम. सं. सं. को ठहरीर जारी है। पत्रावाही के अंतर्गत एच.एम.एम. का. देह. दे. हिस्से में रहेगा।</p> <p>आज्ञा दिनांक 15-3-2019 को पर (निरीप से अमल कराया जाएगा)।</p>	
		<p style="text-align: center;">   <b>जज</b>            न्यायालय राजस्थान         </p>	

डिक्री मुकदमा इश्वरदाई  
(ओ 20 रुब्स व / जाब्ता बीबी)

# अज अदालत सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर

धीठारीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर

वादी

बनाम

प्रतिवादी

आनन्दीलाल पुत्र हीरा  
जाति हरि ब्राहमण निवासी ग्राम  
नगराजपुरा तह बरसी जिला जयपुर।

- 1 रमेश
- 2 रेवड पुत्रान धीर्या / 554/7081
- 3 नरसिंह
- 4 मोहन
- 5 पम्पू पुत्रान हीरा  
समस्त जाति हरि ब्राहमण निवासी ग्राम  
नगराजपुरा तह बरसी जिला जयपुर।
- 6 तहसीलदार बरसी जिला जयपुर।
- 7 प्रेम
- 8 नाथी
- 9 राजू पुत्रिया धीर्या जाति हरि ब्राहमण  
निवासी ग्राम नगराजपुरा तह बरसी जिला  
जयपुर।
- 10 सीता देवी पति लालाराम  
जाति हरि ब्राहमण निवासी 107 बागवाली  
काशी गोल्यावास तह सांगानेर जिला जयपुर।

## दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुन0 27/19

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 102 रकबा 0.7081 हेक्टेयर, ख.नं. 160 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.7334 हेक्टेयर एवं ख.नं. 75 रकबा 1.3530 हेक्टेयर स्थित ग्राम नगराजपुरा तह. तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 75/4 रकबा 0.3382 हेक्टेयर की भूमि खातेदार आनन्दीलाल पुत्र हीरा हि. संपूर्ण राहिन मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा तूंगा जाति हरि ब्राहमण सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 75/2 रकबा 0.3382 हेक्टेयर की भूमि खातेदार नरसिंहलाल पुत्र हीरा हि. संपूर्ण जाति हरि ब्राहमण सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 75/1 रकबा 0.3383 हेक्टेयर की भूमि खातेदार पम्पू पुत्र हीरा हि. संपूर्ण जाति हरि ब्राहमण सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 75/3 रकबा 0.3383 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मोहन पुत्र हीरा हि. संपूर्ण जाति हरि ब्राहमण सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 102 रकबा 0.7081 हेक्टेयर की भूमि खातेदार नाथी पुत्री धीर्या हि. 554/7081 प्रेम देवी पुत्री धीर्या हि. 554/7081, राजू देवी पुत्री धीर्या हि. 554/7081, रमेशचंद पुत्र धीर्या 2710/7081 एवं रेवडमल पुत्र धीर्या हि. 2709/7081 समस्त जाति हरि ब्राहमण सा.देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 160 रकबा 0.0253 हेक्टेयर की भूमि शामिलाती भूमि हिस्सा जमाबंदी अनुसार रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरासद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन भेजे जावें। .....निजी..... मुबलिक..... बाबत इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..... फीसदी सालाना खर्चा..... को अदा करें।

आज की तारीख वसूलियाव तक..... को अदा करें।  
यसखल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.03.2022 को जारी किया गया।  
दस्तखत.....

मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफारिक		
मीजान		

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर